

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक एफ 21 (8)2024-25/विकास/प्रमुखस/ 3845 दिनांक: 05/07/2024
 कार्यालय 3, देश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 21(8)2024-25/विकास/प्रमुखस/ 3072 दिनांक 05.06.2024 द्वारा चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण हेतु बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, 01-परिभ्रमणित वनों का पुनराारोपण, 63-वृक्षारोपण में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बजट आवंटन किया गया था। जिसमें मुख्य वन संरक्षक कोटा के पत्रांक 3354 दिनांक 28.06.2024 द्वारा प्राप्त समर्पण को स्वीकार करते हुये प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है।

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व में आवंटित बजट			संशोधित आवंटित बजट		
		क्षेत्रफल (हे० में)	मॉडल दर प्रति हे० (रूपये में)	वंटित राशि (रु. लाखों में)	क्षेत्रफल (हे० में)	मॉडल दर प्रति हे० (रूपये में)	आवंटित राशि (रु. लाखों में)
मुख्य वन संरक्षक, कोटा	उप वन संरक्षक, बून्दी	100	40000	40.00	0	0	0
	उप वन संरक्षक, झालावाड	200	40000	80.00	300	40000	120.00

- कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-
- उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
 - उक्त कार्य बजट घोषणा के अनुरूप Model Cost Norms Grassland Development (Desert Area and Non - Desert Area) के अनुसार विकास कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
 - कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
 - बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
 - वन विकास कार्यों को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(अनुराग भारद्वाज)
 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (8)2024-25/विकास/प्रमुखस/ 3846-52

दिनांक: 05.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, कोटा ।
- वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- उप वन संरक्षक, बून्दी/झालावाड ।
- प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा ।

(सेडूराम यादव)
 मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)
 राजस्थान, जयपुर